इमेल आईडी–dirvoc.cbse@gmail.com
दूरभाष सं०–22043634

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, के अधीन एक स्वायत्त संगठन)
शिक्षा केन्द्र, 2 सामुदायि केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली–110092

परिपत्र संख्या: शैक्षणिक–24/2015 **27 मई, 2015**

के.मा.शि.बो. से मान्यता प्राप्त
सभी विद्यालय प्रमुखों के लिए

विषय: वित्तीय विपणन प्रबंधन (FMM) का राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा/संरचना (NSQF) के अंतर्गत कक्षा IX और X के स्तर – I , एवं स्तर – II के सत्र 2015–16 में एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम के रूप में समावेशन।

प्रिय प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या,

जैसा कि आप अवगत है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देशानुसार के.मा.शि.बो. (NSQF) रूपरेखा/संरचना के अंतर्गत विभिन्न कौशल आधारित पाठ्यक्रम प्रदान कर रहा है। आप अवगत हैं कि परिपत्र संख्या 04.07. दिनांक 16.01.2007 के अनसार शैक्षिक सत्र 2007 से माध्यमिक कक्षाओं के लिए नैशनल स्टॉक एक्सचेंज के सहयोग से 'वित्तीय विपणन प्रबंधन' पर एक संयुक्त प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम/सर्टीफिकेट कोर्स प्रारम्भ हुआ था।

वित्तीय कौशल विशेष रूप से 21 वीं सदी में उतने ही महत्त्वपूर्ण है जितने कम्प्यूटर कौशल । यह एक व्यक्ति को धन प्रयोग और प्रबंध के विषय में उपयुक्त निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। वित्तीय कौशल जीवन को गुणात्मक उन्नति प्रदान करता हैं और बजट निर्माण, अनुशासित बजट, घर खरीदने के लिए, बच्चों की शिक्षा, विवाह के लिए बुद्धिमत्ता से ऋण के प्रयोग को प्रोत्साहित करके जीवन स्तर को उत्कृष्ट बनाता है।

बैंकिग वित्तीय सेवाओं और बीमा BSFI (बैंकिग फाईनेंशल सर्विसिस एंड इंश्योरेंस) उद्योग में भी प्रशिक्षित व्यवसायियों की बहुत कमी हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास प्राधिकरण (NSDC) ने (BSFI) को 21 संवृद्धि क्षेत्रां में

से एक कौशल विकास के क्षेत्र के रूप में पहचाना है। NSE, जो BFSI क्षेत्र समिति उद्योग की सह आयोजक है, BSFI की विकास योग्यता के लिए जिम्मेदार है।

उपर्युक्त विवरण के मद्दनजर NSE के सहयोग से कक्षा IX शैक्षिक सत्र 2015-16 से FMM को आरम्भ किया जाने का निर्णय लिया गया है। यह NSQF स्तर – I में कौशल आधारित वित्तीय व्यवस्था का योग्यता पाठ्यक्रम होगा। विद्यार्थी कक्षा IX और कक्षा X में 200 कलांश प्रति कक्षा FMM के निम्नलिखित विषय पढेंगे। शेष 5 विषय IX और X की अध्ययन व्यवस्था के अनुसार होंगे।

IX धन प्रबंधन के मूल तत्व

X वित्तीय व्यापार का परिचय

सैद्धान्तिक और प्रयोगात्मक अंक नीचे दिए गए हैं –

क्रम संख्या	कक्षा	पेपर का नाम	लिखित/सैद्धान्तिक	प्रयोगात्मक	कुल
1		धन प्रबंधन के मूल तत्व	60	40	100
2		वत्तीय व्यापार का परिचय	60	40	100

प्रयोगात्मक कौशल विकसित करने के लिए विद्यार्थी, लर्न टू ट्रेड (NLT), वेब आधारित व्यापार अनुकरण सॉफ्टवेयर की विभिन्न ग्रंथियों पर भी अभ्यास करेंगे। विद्यार्थियों को IX और X प्रत्येक कक्षा में 60 घण्टे जैसा कि नीचे दिया गया है अभ्यास करने की आवश्यकता है –

क्रम संख्या	- ग्रंथ का नाम	कक्षा
1.	अंकीय गति उत्प्रेरक ( )	
2.	प्रकार्य समाधान उत्प्रेरक ( )	

पाठ्यक्रम की विशेषतायें–

1. पाठ्यक्रम का मुख्य/प्राथमिक उद्देश्य B FI में व्यवहारिक नियोजनात्मक कौशल विकसित करना है।

2. उच्चतर शिक्षा का अनुसरण करने वाले विद्यार्थियों की उर्ध्व गतिशीलता का ध्यान के.मा.शि.बो. के स्कूल में कक्षा XI और XII स्तर पर FMM को लागू करते समय रखा गया है। इससे कहीं ज्यादा, 16 विश्वविद्यालय पहले से ही वित्तीय व्यापार में बी.बी.ए., एम.बी.ए. पाठ्यक्रम प्रदान कर रहें है बी. वोक (B.Voc) पाठ्यक्रम सामुदायिक महाविद्यालयों के माध्यम से उपलब्ध हैं।

3. वित्तीय व्यापार उद्योग के प्रमुख विशेषज्ञयों द्वारा पाठ्यक्रम निर्मित किया गया हैं और द्वारा जांचा गया है।

4. के.मा.शि.बो. और एन.एस.ई. संयुक्त रूप से प्रमाण-पत्र प्रदान करेंगे।

5. FMM परीक्षा के लिए ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करेगी।

6. FMM के लिए पुस्तकें पहले से ही उपलब्ध हैं और के.मा.शि.बो. के भंडार से प्राप्त की जा सकती है।

7. अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यापारिक अध्ययन योग्यता प्राप्त मौजूदा अध्यापक सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक शिक्षा दोनों के लिए दोनों के.मा.शि.बो. और एन.एस.ई. द्वारा प्रशिक्षित किये जायेंगे।

8. के.मा.शि.बो. और एन.एस.ई. कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिए संयुक्त रूप से अभिज्ञता कार्यशाला आयोजित करेंगे।

के.मा.शि.बो. के जिन विद्यालयों ने पहले से ही XI और XII में सफलतापूर्वक FMM कार्यान्वित किया है, उन्हं सलाह दी जाती है कि कक्षा IX में भी शैक्षिक सत्र 2015-16 से एफ एम एम प्रारंभ किया जाये।

नए विद्यालय जो कक्षा IX में शैक्षिक सत्र 2015-16 से एफ एम एम प्रारंभ करने में रूचि रखते हैं और जिनके पास इंटरनेट सुविधा के साथ पर्याप्त कम्प्यूटर है, वे उसके लिए यहाँ संकलित प्रारूप पर अपनी मंजूरी देते हुए आवेदन पत्र अद्योहस्ताक्षरित को लिख सकते हैं। मंजूरी ईमेल/डाक द्वारा अधोहस्ताक्षरित को 30 जून, 2015 तक पहुँच जानी चाहिए ताकि बोर्ड आवेदन पत्रों को संसाधित कर सके। कोर्स का पाठ्यक्रम वेबसाइट www.cbse.nic.in पर उपलब्ध है।

भवदीय

श्री एम.वी.वी. प्रसाद राव
निदेशक (व्यावसायिक और एड्युसेट)

इस निवेदन के साथ कि सभी निदेशालयों, संगठनों और संस्थानों के प्रमुखों को जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी विद्यालयों को सूचना देने के लिए प्रतिलिपि प्रेषित करने का कष्ट करें।

1 आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, 18-इन्सटिट्यूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016
2 आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, बी -15, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा 201307
3 शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, नई दिल्ली-110054
4 निदेशक, सार्वजनिक निर्देश (विद्यालय), केन्द्र शासित प्रदेश सचिवालय, सेक्टर-9 चंडीगढ़-160017
5 शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम-737101
6 निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, अरुणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर-791111
7 शिक्षा निदेशक, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सरकार, पोर्ट ब्लेयर-744101
8 राज्य शिक्षा संस्थान, के.मा.शि.बो. कक्ष वी.आई.पी. मार्ग जंगली घाट. पी.ओ.-744103 अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह।
9 केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, एस.एस. प्लाज़ा, सामुदायिक केन्द्र, सेक्टर-3, रोहिणी, दिल्ली-110085
10 सेना शिक्षा के अपर निदेशक जनरल, ए-विंग, सेना भवन, डीएचक्यू, पीओ, नई दिल्ली-110001
11 निदेशक, एडब्ल्यूईएस, रक्षा मंत्रालय (सेना) के एकीकृत मुख्यालय, FDRC बिल्डिंग नं 202, शंकर विहार (नियर ए पी एस), दिल्ली कैंट-110,010
12 सभी क्षेत्रीय निदेशक। के.मा.शि.बो. के सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को अपने संबंधित क्षेत्रों में बोर्ड से संबद्धता प्राप्त विद्यालयों के प्रमुखों को परिपत्र की प्रति भेजने के अनुरोध के साथ।
13 सभी अपर निदेशक और प्रमूख, शैक्षिक और प्रशिक्षण यूनिट, सीबीएसई
14 सभी अपर निदेशक और प्रमूख, अनुसंधान और नवाचार यूनिट, सीबीएसई
15 सभी सहयोगी प्रोफेसर और संयुक्त निदेशक/सलाहकार/परामर्शदाता
16 सभी अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सह-निदेशक, वोकेशलन सेल, के.मा.शि.बो.
17 के.मा.शि.बो. की वेबसाइट पर इस परिपत्र को अपलोड करने के अनुरोध के साथ शिक्षा अधिकारी (CBSE-i)
18 सभी सहायक प्रोफेसर एवं संयुक्त निदेशक, के.मा.शि.बो.
19 सभी सहायक प्रोफेसर एवं उप निदेशक, के.मा.शि.बो.
20 उप निदेशक (परीक्षा एवं सुधार), के.मा.शि.बो.
21 सहायक पुस्तकाध्यक्ष , के.मा.शि.बो.
22 जन संपर्क अधिकारी, के.मा.शि.बो.
23 हिंदी अधिकारी, के.मा.शि.बो.
24 अध्यक्ष, के.मा.शि.बो., के निजी सचिव
25 सचिव, के.मा.शि.बो. के निजी सचिव
26 परीक्षा नियंत्रक, के.मा.शि.बो. के अनुभाग अधिकारी के निजी सचिव
27 निदेशक (विशेष परीक्षा तथा सी.टी.ई.टी.), के.मा.शि.बो., के निजी सचिव
28 निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) के निजी सहायक

एसोसिएट प्रोफेसर एवं अपर निदेशक(नवाचार एवं अनुसंधान)